राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

राजस्थान सरकार
राज्य स्वास्थ्य समिति (एन0आर0एच0एम0)
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्र. सं. एफ–20 (फार्मासिस्ट)/ एनआरएचएम/एच0आर0डी0/09–10/220   दिनांक : 7/12/09

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले

विषयः–एनआरएचएम के अन्तर्गत ड्रग वेयर हाऊस हेतु व्यक्तिगत अनुबंध पर फार्मासिस्टों (संविदा) को जिला आवंटन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ड्रग वेयर हाऊस के बेहतर संचालन हेतु 500 फार्मासिस्ट (संविदा) के चयन हेतु जारी विज्ञप्ति SIHFW/NRHM-HRMA/08/ दिनांक 02.01.09 के क्रम में राज्य स्तरीय वरीयता सूची का निर्धारण कर योग्य फार्मासिस्ट को संलग्न सूची के अनुसार जिलेवार आवंटन करते हुए उनके नाम के सामने अंकित स्थानों पर पदस्थापन किया जाता हैं। चयनित अभ्यार्थियों को व्यक्तिगत अनुबंध हेतु आप द्वारा इनके पत्राचार के पते पर बुलावा पत्र भिजवाया जाकर दिनांक 24.12.09 तक आवश्यक रुप से नियुक्ति देकर अंकित पदस्थापन कार्यालय पर कार्यग्रहण करवाया जावेगा। इन अभ्यार्थियों की उपस्थिति लेते समय नियुक्ति से पूर्व निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. व्यक्तिगत अनुबंध चयनित अभ्यर्थी से एक वर्ष (12 माह) के लिए किया जाना हैं।
2. नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त छायाप्रतियों का मिलान मूल दस्तावेज से करवाया जावेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो उसकी उपस्थिति नहीं ली जावें।
3. अभ्यर्थी के योग्यता संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्र लिये जाकर उनका सत्यापन संबंधित संस्था से करवाये जाने के पश्चात ही उन्हें अभ्यर्थी को वापस लौटाये जावेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र /शपथ–पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित /कूट रचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे साथ ही दोषी के विरुद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही भी की जावेगी।
4. निर्धारित दिनांक 24.12.09 तक उपस्थिति नहीं देने वाले अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. नियुक्ति से पूर्व राज्य के फार्मसी कांउसिल से पंजीयन होने का नवीनतम प्रमाण पत्र अभ्यर्थी से लिया जावेगा।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही जारी किया हुआ एवं0 छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा छः माह से पुराना जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता हैं तो उसे नवीनीकृत करवाने के पश्चात ही उपस्थिति ली जावे। महिला अभ्यर्थी होने की स्थिति में जाति प्रमाण–पत्र पिता के नाम से ही जारी किया हुआ होना चाहिए।
7. विकलांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र की जांच की जावे।
8. अभ्यर्थी से संतान संबंधी, विवाह तथा दहेज का निर्धारित शपथ पत्र एवं एनआरएचएम में पूर्व से पदस्थापित नहीं होने का शपथ पत्र भी नियुक्ति से पूर्व लिया जावे।
9. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति से पूर्व दो सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण–पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
10. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों से मिलान एवं सत्यापन होने के पश्चात ही आपके द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जावेगा।

7/12/09

11. इन संविदा कार्मिकों को रुपये 7000/– प्रतिमाह मानदेय देय होगा। इस हेतु प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी।
12. नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यार्थियों से संलग्न अनुबंध पत्र के अनुसार संबंधित राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी के माध्यम से अनुबंध किया जावेगा।
13. फार्मासिस्टों के कार्य दायित्व (टर्म ऑफ रिफरेन्स) संलग्न कर भिजवाया जा रहा हैं।
14. नियुक्ति के पश्चात कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यार्थियों की सूचना मुख्यालय को तत्काल भिजवावें, ताकि रिक्त रहने वाले पदों को भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(भवानी सिंह देथा)
मिशन निदेशक, एनआरएचएम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
4. संबंधित जिला कलेक्टर (समस्त जिले)
5. निदेशक, जनस्वास्थ्य/आर0सी0एच0, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तिय सलाहकार/राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनआरएचएम, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (समस्त जोन)
8. प्रभारी, सर्वर रुप को भेजकर लेख हैं कि विभागीय वैबसाईट पर शीघ्र जारी करें।
9. रक्षित पत्रावली।

7/12/09

परियोजना निदेशक, एनआरएचएम